

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
अलवर [ राज० ]

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही
2 <sup>11</sup> / <sub>10</sub>	अभिभाषक अपीलाना/ रेसपो उपस्थित। अतः पञ्जावली कस्ते <u>बहस</u> दिनांक 4.1.19 को पेश हो। ✓
4 <sup>1</sup> / <sub>19</sub>	अभिभाषक न्यायपक्ष उपस्थित/राजस्व अपील अधिकारी अतः पञ्जावली कस्ते <u>बहस</u> दिनांक 1.3.19 को पेश हो। ✓
1 <sup>8</sup> / <sub>19</sub>	पञ्जावली पेश हुई। अभिभाषक उपस्थित उपस्थित। अतः पञ्जावली कस्ते <u>बहस</u> दिनांक 24.5.19 को पेश हो। ✓
24 <sup>5</sup> / <sub>19</sub>	अभिभाषक अपीलाना/ रेसपो उपस्थित। अतः पञ्जावली कस्ते <u>बहस</u> दिनांक 2.8.19 को पेश हो। ✓
2.8.19	अभिभाषक अपीलाना/ रेसपो उपस्थित। अतः पञ्जावली कस्ते <u>बहस</u> दिनांक 11.10.19 को पेश हो। ✓
11.10.19	पञ्जावली पेश हुई। अभिभाषक उपस्थित। अतः पञ्जावली कस्ते <u>बहस</u> दिनांक 15.10.19 को पेश हो। ✓
17/11/19	पञ्जावली कस्ते निर्णय पेश हुई। अपीलाना उपस्थित। तहल कसाल तहल कसाल दिनांक 04.5.2009 का कसाल तहल कसाल अतः पञ्जावली कस्ते <u>बहस</u> दिनांक 11.10.19 को पेश हो। ✓

अधि

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
अलवर [ राज० ]

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही

तद्वत् अदालत ने कडी के फार्मिंग  
 पत्र तथा फार्मिग डी के फार्मिंग पत्र, राजीनामा की न  
 प्रपत्र (वाडी) खातिर किया है, पत्र (वाडी) 'वाडी' के  
 क्रि. क्र. को लक्षण के रूप में स्वीकृत किया तथा  
 175 LRACT की कार्यवाही करने का पत्र (क्रि. क्र.)  
 किया है, इसमें अपीलान्त में बयान दिया है  
 कि SC के रेगुलरी लेट कर: उनके क्रि. क्र. 42  
 धारा 42 RTACT लागू नहीं होता है  
 कर: उनके 1/2 धारा 42 के लिए तब तक अदालत  
 की 175 LRACT के लिए धारा 42 RTACT  
 की दिव्यानी के बयान को किया गया  
 फार्मिंग के कवलों को अदालत  
 उपान्त न्यायालय का फट्टे में वाडी मालिक  
 के लिए अपना नाम धारा 42 RTACT के  
 अंतर्गत में दिया है कि वह अदालत की  
 कार्यवाही नहीं है, पत्र अपीलान्त SC  
 के रेगुलरी लेट कर: उनके पत्र में किया  
 गया अपना 1/2 धारा 42 के लिए है,  
 के लिए तद्वत् अदालत की धारा 42  
 RTACT के अंतर्गत 175 LRACT की  
 कार्यवाही की दिव्यानी निराल की जाती है  
 कर: अपील अपीलान्त स्वीकृत  
 जाती है तथा तद्वत् अदालत के अंतर्गत को  
 अधिक निराल किया जाता है तथा अपीलान्त  
 के पत्र में किया गया अपना 1/2 धारा 42  
 को क्रि. क्र. के अंतर्गत लक्ष्य जाये जाने  
 पर पत्रावल रखा जाता है  
 फार्मिंग को लक्षण के रूप में स्वीकृत है  
 निर्णय क्रि. क्र. 13/1/19 को दिया गया है

स्वीकृत  
1/1/19

वता  
मेरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर